आदेश की क्रम-संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी की हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

२

अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा

क्रि0मि0 वाद सं0- 428/22

कुदरत अली मल्लिक :- प्रथम पक्ष

-: बनाम :-

शेख गजार :- द्वितीय पक्ष

धारा 145 द0प्र0स0 के तहत

विपक्षी शेख मजहर, पिता- शेख कादेर, ग्राम+पो0- बागडेहरी, प्रखण्ड- कुण्डहित, थाना- बागडेहरी, जिला- जामताड़ा के द्वारा निर्माणाधीन मकान की छत से पटरा खोलने की अनुमति देने संबंधी आवेदन दिया गया है।

जिसके आलोक में विपक्षी उपस्थित है। बताते हैं कि वर्तमान में द0प्र0स0 की धारा 145 के तहत कार्रवाई की गई है। वर्तमान में पटरा नहीं खोलने से आर्थिक क्षति हो रही है। इनके अधिवक्तागण वर्तमान में हड़ताल पर हैं। अतः पैरवी खुद कर रहे हैं। पटरा खोलने की अनुमति चाहते हैं।

अंचल अधिकारी, कुण्डहित का प्रतिवेदन पत्रांक- 21/रा0, दिनांक- 09.01.2023 से उपलब्ध है। प्रतिवेदित है कि पटरा खोलने से कोई विवाद नहीं है।

अतः पटरा खोलने की अनुमति दी जाती है। साथ ही उभय पक्षों को आदेश दिया जाता है कि वे विवादित भूमि पर अतिरिक्त किसी प्रकार का निर्माण कार्य आदि नहीं करेंगे।

उभय पक्ष अपना बयान तहरीर अगली तिथि तक निश्चित रूप से दाखिल करेंगे। अन्यथा एकपक्षीय सुनवाई की जाएगी।

Sd/- 11/1/23
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
जामताड़ा।

ज्ञापांक.. 027 / दिनांक.- 11.1.2023

प्रतिलिपि.. अंचल अधिकारी कुण्डहित एवं थाना प्रभारी बागडेहरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

Sd/-
अनुमण्डल पदाधिकारी
जामताड़ा

थाना प्रभारी, बागडेहरी
16.1.23

अंचल अधिकारी कुण्डहित

Received
16/1/23
B. Dehri

Digitally signed by NITYA NAND PRASAD
Date: 2023.09.22 12:53:13 +05:30
Location: 192.168.1.47

Scanned by CamScanner